

920/2016-17

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
<u>03/09/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अनतोनी उराँव पिता अगस्त्य उराँव को खास अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>13/09/21</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>13/09/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्रप्त। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी से मूल कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>25/10/21</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>25/10/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक <u>16/11/21</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>16/11/21</u> <u>08/02/22</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अनतोनी उराँव पिता अगस्त्य उराँव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के <u>वंगज</u> द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम <u>बडकी विठुरा</u> खाता संख्या <u>284/7</u> प्लॉट संख्या <u>2500, 2733, 1837, 3690</u> रकबा कुल- <u>3.02 ए० वर्ष 2018-19</u> का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान <u>कोई लिखित बयान नहीं दिया</u> है कि उनके पास <u>लगान रसीद</u> के अतिरिक्त <u>अन्य कोई दस्तावेज</u> है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी- II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार <u>दर्ज नहीं</u> है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम <u>बडकी विठुरा</u> खाता संख्या <u>284/7</u> प्लॉट संख्या <u>2500, 2733, 1837, 3690</u> सर्वे खतियान में किस्म <u>X</u> दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है।</p>	

क्रमशः

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनतोनी ठराँव पिता अगस्त्य ठराँव  
 ग्राम वड़की बिठुरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी सदिग्ध/अवैध प्रतित होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	वड़की बिठुरा	02	284/7	2500	0.65 ए०
2	वड़की बिठुरा	02	284/7	2733	0.90 ए०
3	वड़की बिठुरा	02	284/7	1837	0.85 ए०
4	वड़की बिठुरा	02	284/7	3690	0.62 ए०

कुल → 3.02 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा०, दिनांक- 21.12.2017 के कडिका-5 के उप कडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।

  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।